आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

22.10.22

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)b के तहत

आर०एम० वाद सं०–02/2017–18

सहोदर महतो..विक्रेता

बनाम

मनोज कुमार महतो..क्रेता

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राहे के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उक्त वाद की निष्पादन हेतु विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय के ज्ञापांक–970(ii)/रा० दिनांक–21.09.2022, एवं ज्ञापांक–1096(ii)/रा० दिनांक–14.10.2022, के द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता/क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। इससे यह प्रतित होता है कि विक्रेता सहोदर महतो पिता–बानेश्वर महतो, ग्राम–डोमनडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, राँची, झारखण्ड, जाति–कुरमी, पेशा–खेती, को प्रस्तावित भूमि के बिक्री में कोई अभिरूचि नही है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमति की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना स०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
डोमनडीह	83	30	362	0.2½ ए०

लेखापित एंव संशोधित।

22/10

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)।

22/10

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.10.29 12:07:04 +05:30
Location: 192.168.154.216